रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082022-237881
CG-DL-E-03082022-237881

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 542] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 3, 2022/श्रावण 12, 1944
No. 542] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 3, 2022/SHRAVANA 12, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2022

सं. 24/2022-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 616(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य और संयुक्त अरब अमीरात (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "ओपल ग्लासवेयर" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के शीर्षक 7013 के अंतर्गत आता है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 15/4/2016-डीजीएडी, दिनांक 3 जुलाई, 2017, जिसे दिनांक 3 जुलाई, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में उक्त विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित उक्त विषयगत वस्तु के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए सिफारिश की है;

और जहां कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपुर्यक्त निष्कषों के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 37/2017-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 09 अगस्त, 2017, जिसे सा.का.नि. 1006 (अ), दिनांक 09 अगस्त, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत उक्त विषयगत वस्तु पर प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखा था;

और जहां कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना फा. सं. 07/23/2021-डीजीटीआर, दिनांक 09 सितम्बर, 2021, जिसे दिनांक 9 सितम्बर, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत उक्त विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित उक्त विषयगत वस्तु, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्षक 7013 के अंतर्गत आती है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 37/2017-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 09 अगस्त, 2017, जिसे सा.का.नि. 1006 (अ), दिनांक 09 अगस्त, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के अनुपालन में समीक्षा का कार्य शुरू किया था;

और जहां कि उक्त विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगे प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना फा. सं. 7/23/2021-डीजीटीआर, दिनांक 06 मई, 2022, जिसे दिनांक 06 मई, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में, अन्य बातों के साथ, इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि –

(i) ऐसे शुल्क को लगाए जाने के बावजूद विषयगत देशों से यहां विषयगत वस्तु की लगातार तथा अत्यधिक भरमार होती जा रही है;

(ii) यदि इस शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो इसके फालतू आयात से घरेलू उद्योगों को काफी क्षति होने की संभावना है;

(iii) लिखित जानकारी से यह प्रकट होता है कि यदि इस प्रतिपाटन शुल्क को समाप्त कर दिया जाए तो इसकी भरमार यहां जारी रहेगी और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचेगी;

और विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित उक्त विषयगत वस्तु के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए सिफारिश की है ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 37/2017-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 09 अगस्त, 2017, जिसे सा.का.नि. 1006 (अ), दिनांक 09 अगस्त, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा करने से लोप की गई बातों को छोड़कर, केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतदद्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उस शीर्षक के अंतर्गत आते हैं जो कॉलम (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है और कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित हैं और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट विषयगत वस्तु के आयात के सीआईएफ मूल्य के निकाले गए प्रतिशत की दर से प्रतिपाटन शुल्क लगाती है ।

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ शीर्षक	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की दर (%) में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	7013	ओपल ग्लासवेयर	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	कोई भी	30.64
2.	7013	ओपल ग्लासवेयर	चीन जनवादी गणराज्य और संयुक्त अरब अमीरात समेत कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	30.64

3.	7013	ओपल ग्लासवेयर	संयुक्त अरब अमीरात	संयुक्त अरब अमीरात समेत कोई भी देश	कोई भी	4.38
4.	7013	ओपल ग्लासवेयर	चीन जनवादी गणराज्य और संयुक्त अरब अमीरात समेत कोई भी देश	संयुक्त अरब अमीरात	कोई भी	4.38

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण –

(1) इस अधिसूचना के उद्देश्य से ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

(2) इस अधिसूचना के उद्देश्य से सीआईएफ मूल्य से अभिप्राय सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के अंतर्गत यथा निर्धारित आंकलन योग्य मूल्य से है।

[फा. सं.190354/178/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2022

No. 24/2022-Customs (ADD)

G.S.R. 616(E).—Whereas, in the matter of “Opal Glassware” (hereinafter referred to as the subject goods), falling under headings 7013 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from the People’s Republic of China and United Arab Emirates (hereinafter referred to as the subject countries), and imported into India, the designated authority in its final findings *vide,* notification number. 15/4/2016-DGAD, dated 3rd July, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section1, dated the 3rd July, 2017 had recommended extension of anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in, or exported from the subject countries;

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had extended anti-dumping duty on the subject goods *vide* notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 37/2017-Customs (ADD), dated the 9th August, 2017 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, number G.S.R. 1006(E), dated the 9th August, 2017.

And whereas, the designated authority, *vide* notification F. No. 7/23/2021-DGTR, dated the 9th September, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 9th September, 2021 had initiated the review in terms of sub-section (5) of section 9 A of the Customs Tariff Act, and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, in the matter of

continuation of anti-dumping duty on imports of subject goods, falling under headings 7013 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, the subject countries and imported into India, imposed *vide* notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 37/2017-Customs (ADD), dated the 9th August, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, number G.S.R. 1006(E), dated the 9th August, 2017;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from the subject countries, the designated authority in its final findings, published *vide*, notification F. No. 7/23/2021-DGTR, dated the 6th May, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 6th May, 2022, has inter alia come to the conclusion that –

(i) there is continued and significant dumping of subject goods from subject countries despite duties;

(ii) the domestic industry is vulnerable to injury from dumped imports in case of cessation of duties;

(iii) the information on record shows likelihood of continuation of dumping and consequent injury to the domestic industry, in case anti-dumping duty is allowed to cease,

and has recommended continued imposition of an anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from the subject countries;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 and in supersession of the notification of the Government of India Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 37/2017-Customs (ADD), dated the 9th August, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide*, number G.S.R. 1006(E), dated the 9th August, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after considering the aforesaid findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under headings of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2) originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4) and exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5) and produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6) and imported into India, an anti-dumping duty at a rate as specified in the corresponding entry in column (7) of the said Table to be worked out as percentage of the CIF value of imports of the subject goods.

TABLE

Sl. No	**Tariff Heading**	**Description of goods**	**Country of origin**	**Country of export**	**Producer**	**Rate of duty (%)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	7013	Opal Glassware	People's Republic of China	Any country including People's Republic of China	Any	30.64
2.	7013	Opal Glassware	Any country other than People's Republic of China and United Arab Emirates	People's Republic of China	Any	30.64
3.	7013	Opal Glassware	United Arab Emirates	Any country including United Arab Emirates	Any	4.38
4.	7013	Opal Glassware	Any country other than People's Republic of China and United Arab Emirates	United Arab Emirates	Any	4.38

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, suspended and amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be paid in Indian currency.

Explanation. –

(1) For the purposes of this notification, the rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act, 1962.

(2) For purposes of this notification, "CIF value" means the assessable value as determined under section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. 190354/178/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA